पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 12/2024

1 अजय कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1. साहबराम पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. वेदअन्ती पत्नी साहबराम जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. सुमन पुत्री साहबराम पत्नी विनोद जाति जाट निवासी चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दिनांक......27/11/25......

डिक्री

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री संजय शर्मा व प्रतिवादी वकील जयनारायण शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है प्रतिवादी स. 1 साहबराम के नाम दर्ज आराजी चक न० 5 के. एच. आर जमाबंदी सम्वत 2075 से 78 खाता स० 238/207 में दर्ज 2.3030 हे. में 1/2 हि. का इसी चक के खाता स. 239/229 में दर्ज 0.2530 हे. में 1/2 हिस्सा आराजी का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व उक्त चकों में प्रतिवादी स0 1 साहबराम का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...27/11/25... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

Scanned with OKEN Scanner